



प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-12-2021 का कार्यवृत्त

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक
14-12-2021 की कार्यवाही



प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-12-2021 का कार्यवृत्त

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-12-2021 में अधिकारियों की उपस्थिति :-

- | | |
|--|---|
| 1. श्री सुशील कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल | अध्यक्ष |
| 2. श्री बृजेश कुमार सन्त, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून। | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री अर्पण कुमार राजू, उप सचिव, आवास विभाग | सदस्य |
| 4. सुश्री दीप्ति मिश्रा, उप सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 5. श्री जगदीश लाल, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून। | मुख्य नगर आयुक्त के नामित प्रतिनिधि |
| 6. श्री कृष्ण कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), देहरादून। | जिलाधिकारी देहरादून के नामित प्रतिनिधि |
| 7. श्रीमती शालू थिण्ड, सयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून। | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड के नामित प्रतिनिधि। |

अन्य उपस्थिति

1. श्री मोहन सिंह बर्निया, सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
2. श्री रजा अब्बास, संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. श्रीमती स्मृति खण्डूरी, मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
4. श्री एच०सी०एस० राणा, अधीक्षण अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. श्रीमती गीता खुल्दै, विशेषज्ञ समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।



सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/आयुक्त गढ़वाल मण्डल का पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए स्वागत किया गया तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 101वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या को पढ़ा गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं 102वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी:-

प्राधिकरण की 101 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.09.2021 की अनुपालन आख्या।

सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 08-09-2021 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

विषय क्रमांक:-1 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-2399/19-20आरई-1 श्री शकील अहमद पुत्र स्व0 श्री मुनव्वर अली खसरा नम्बर 35क (पुराना खसरा नम्बर-39/2) मौजा सेवलाकंला (शिमला बाईपास रोड पर) परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर कामर्शियल बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सचिव, एम0डी0डी0ए0 द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि महायोजना में प्रदर्शित पब्लिक/सेमी पब्लिक में परिक्षेत्रीय विनियमन-2005-25 के अनुसार कॉमर्शियल निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड से अनुमन्य है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये प्रकरण की जाचं हेतु एक समिति गठित कर ली जाय, जिनके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- 1-सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 2-श्री मनोज जोशी, अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 3-विशेषज्ञ समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

उक्त समिति की संयुक्त आख्या प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण का निस्तारण किया जाय।

विषय क्रमांक:-2 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0066/21-22 श्रीमती किरन भट्ट पत्नी श्री सुदेश भट्ट द्वारा नया खसरा नम्बर 876 पुराना खसरा नम्बर 895 ग्राम चक तुनवाला (तुनवाला शमशेर गढ रोड पर) देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त पेट्रोल पम्प हेतु 18.00 मीटर चौड़ा मार्ग आवश्यक है, जबकि स्थल पर 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध है। शासनादेशानुसार 25 प्रतिशत से अधिक शिथिलता प्रदान किये जाने का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (UHUDA) में निहित है। अतः सर्व सम्मति से मार्ग में शिथिलीकरण हेतु प्रकरण UHUDA को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।






प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-12-2021 का कार्यवृत्त

विषय

क्रमांक:-3

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0296/20-21 श्री

राकेश चन्द बहुगुणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बहुगुणा & lessor श्री जगदीश प्रसाद बहुगुणा पुत्र केदार दत्त बहुगुणा खसरा नम्बर 1649क व 1649ख चक तुनवाला परगना परवादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त पेट्रोल पम्प हेतु 18.00 मीटर चौड़ा मार्ग आवश्यक है, जबकि स्थल पर 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध है। शासनादेशानुसार 25 प्रतिशत से अधिक शिथिलता प्रदान किये जाने का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (UHUDA) में निहित है। अतः सर्व सम्मति से मार्ग में शिथिलीकरण हेतु प्रकरण UHUDA को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक:-4

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0197/21-22 Lessor श्रीमती अलका भाटिया पुत्री स्व० श्री जगदीश चन्द पत्नि स्व० श्री रणवीर सिंह Lessee श्री अजयवीर सिंह पुत्र स्व० श्री रणवीर सिंह खाता खतौनी नम्बर 00023 खसरा नम्बर 8ख मौजा मालसी तहसील देहरादून जिला देहरादून पर बी०पी०सी०एल रिटेल आउट लेट पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक:-5

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के आदेश संख्या-11/xxvii (7) 30 (14)/2017 दिनांक 17, फरवरी, 2017 के द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के सरकारी/प्राधिकरण सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश को पूर्व में ही प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 29-05-2017 में अंगीकृत किया जा चुका है, जिसकी सूचना कार्यालय पत्रांक 1229/अधि०-74सा०वेतन/2017-18 दिनांक 03-08-2017 द्वारा शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तदनुसार बोर्ड द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 29-05-2017 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।



विषय क्रमांक:-6

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0017/21-22 श्री केशोलाल गोयल पुत्र श्री एस0एल0गोयल व श्री श्याम सुन्दर वैश्य पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर खसरा नम्बर 449ग, 450मिन. मौजा सुद्धोवाला (मुख्य चकराता रोड) परगना पछवादून विकासनगर देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से श्री केशोलाल गोयल पुत्र श्री एस0एल0गोयल व श्री श्याम सुन्दर वैश्य पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर द्वारा खसरा नम्बर 449ग, 450मिन. मौजा सुद्धोवाला (मुख्य चकराता रोड) परगना पछवादून विकासनगर देहरादून में आवेदित होटल निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक:-7

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-2249/19-20 श्री इन्देश शर्मा व श्री अमरीश शर्मा पुत्रगण स्व0 श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा खसरा नम्बर 1885 मौजा अजबपुर कंला (मौथरोवाला रोड व दून यूनिर्वसिटी रोड पर) परगना केन्द्रीय दून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पहुंच मार्ग की विद्यमान न्यूनतम चौड़ाई/महायोजना में निर्धारित चौड़ाई के सापेक्ष जांचोपरान्त प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक:-8

मानचित्र पत्रावली संख्या सी0-0259/21-22 मै0 जैमिनी पैकटेक, द्वारा-श्री दिनेश चुफाल, खसरा न0 166मि0, 167मि0, 168मि0 एवं 169मि0 कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 3791.00 वर्गमीटर, मौजा बंशीवाला, परगना पछवादून, जिला देहरादून में व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा मानचित्र पत्रावली संख्या सी0-0259/21-22 मै0 जैमिनी पैकटेक, द्वारा-श्री दिनेश चुफाल, खसरा न0 166मि0, 167मि0, 168मि0 एवं 169मि0 कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 3791.00 वर्गमीटर, मौजा बंशीवाला, परगना पछवादून, जिला देहरादून में व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक:-9

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0339/20-21 श्रीमती अनिता देवी पत्नि श्री रमेश लाल पुराना नम्बर-3 नया खसरा नम्बर 406क मौजा सुद्धोवाला (मेन चकराता रोड पर) परगना पछवादून तहसील विकास नगर देहरादून पर आफिस प्लान निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा ऑफिस प्लान मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।



विषय क्रमांक:-10

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0186/21-22 श्री अनुप कुमार वालिया, श्री मधुकर, श्री विवेक कुमार पुत्रगण श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा खसरा नम्बर 85मि , 88मि व 90ख मौजा बद्रीपुर (मेन बद्रीपुर रोड निकट आशा नर्सिंग होम) परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर लिया जाय व विस्तृत आख्या सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक दिनांक 23-12-2021 में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक:-11

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0028/20-21आरई-1 श्री सुरेश दास पुत्र श्री मुलू दास खसरा नम्बर 124 ग्राम दूधली परगना परवादून तहसील डोईवाला देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक:-12

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आवेदित मानचित्र संख्या-सी-0344/20-21 प्रस्तावित बी0जे0पी0 प्रदेश कार्यालय हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवेदित मानचित्र संख्या-सी-0344/20-21 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक:-13

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0157/21-22आरई-1 श्रीमती नीलिमा आहलूवालिया पत्नि श्री इन्द्रेश कुमार व श्री नवल आहलूवालिया पुत्र श्री इन्द्रेश कुमार द्वारा खसरा नम्बर 981मि , 981ख , 986स्थित ग्राम नत्थनपुर (मेन हरिद्वार रोड अपोजिट विवेकानन्द स्कूल) परगना परवादून जिला देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा पब्लिक/सेमी पब्लिक भू-उपयोग में बोर्ड से अनुमन्यता के सम्बन्ध में विषय क्रमांक-1 पर लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।



विषय क्रमांक:-14

मानचित्र पत्रावली संख्या सी-0282/21-22 श्री इरशाद अली पुत्र मौहम्मद सुलेमान खसरा नम्बर 430 ग स्थित मौजा माजरा परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर वाणिज्यिक केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा पब्लिक/सेमी पब्लिक भू-उपयोग में बोर्ड से अनुमन्यता के सम्बन्ध में विषय क्रमांक-1 पर लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक:-15

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0315/21-22 श्री सुमिन्दर सिंह अरोडा पुत्र श्री सरबजीत सिंह अरोडा व श्रीमती रूचिका अरोडा पत्नि श्री सुमिन्दर सिंह अरोडा (पुत्री श्री प्रदीप कुमार) खाता संख्या-251साल नया खसरा नम्बर 752 (पुराना खसरा नम्बर 168/1) स्थित मौजा सुदोवाला परगना पछवाडून देहरादून पर वाणिज्यिक केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा पब्लिक/सेमी पब्लिक भू-उपयोग में बोर्ड से अनुमन्यता के सम्बन्ध में विषय क्रमांक-1 पर लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक:-16

मानचित्र पत्रावली संख्या सी-0176/21-22 श्रीमती सुनीता देवी पत्नि श्री शिवशरण खसरा नम्बर 333ख मौजा केदारपुर (दून यूनिवर्सिटी रोड) परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान श्रीमती सुनीता देवी पत्नि श्री शिवशरण द्वारा आवेदित मानचित्र संख्या सी-0176/21-22 खसरा नम्बर 333ख मौजा केदारपुर (दून यूनिवर्सिटी रोड) परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक:-17

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0304/21-22 **Lessee** श्रीमती रीना देवी पत्नि श्री अमित कुमार पाल श्री **Lessor** शेर सिंह पाल पुत्र स्व0 श्री हरी सिंह पाल खसरा खसरा नम्बर 2548/1 खाता नम्बर 493 मौजा रायपुर परगना परवाडून देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि एन0जी0टी0 के दिशा निर्देशों यथा स्थल से 50 मीटर की दूरी पर आबादी न हो, कोई नाला खाला न होने आदि के सम्बन्ध में जांच कर ली जाय व तदनुसार ही प्रकरण का निस्तारण किया जाय।



विषय क्रमांक:-18

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0281/21-22 श्री वर्णित अग्रवाल व श्री वैभव अग्रवाल पुत्रगण श्री विनोद कुमार अग्रवाल खसरा नम्बर 539क मि. अद्दूवाला तहसील विकास नगर देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक:-19

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0200/21-22 श्रीमती अरुणा जैन, श्रीमती मुक्ता जैन खसरा नम्बर 268मिन ग्राम अजबपुर कंला तहसील देहरादून जिला देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक:-20

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0129/21-22 श्री राकेश कुमार आहलूवालिया पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा खसरा नम्बर 564, 565, 566 मौजा बद्रीपुर (मेन बद्रीपुर चौक विपरीत काली मन्दिर) परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर लिया जाय व विस्तृत आख्या सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक दिनांक 23-12-2021 में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक:-21

कु० अवनी गर्ग पुत्री श्री विश्वास गर्ग द्वारा खसरा नम्बर 1488 ग्राम काँवली में पेट्रोल फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान पाया गया कि पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड का आकार अति न्यून है, अतः सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।



विषय क्रमांक:-22

मानचित्र पत्रावली संख्या ओ0सी0-0261/21-22 श्री बिजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री घमण्ड सिंह रावत द्वारा खसरा न0 1476, 1477, 1479 एवं 1481 कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 385.00 वर्गमीटर, मौजा बड़कोटमाफी, तहसील ऋषिकेश, परगना परवादून, जिला देहरादून में व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री बिजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री घमण्ड सिंह रावत द्वारा खसरा न0 1476, 1477, 1479 एवं 1481 कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 385.00 वर्गमीटर, मौजा बड़कोटमाफी, तहसील ऋषिकेश, परगना परवादून, जिला देहरादून में व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या ओ0सी0-0261/ 21-22 की स्वीकृति हेतु सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक:-23

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0287/21-22 श्री राजीव सिकुण्ड एवं अन्य द्वारा सम्पत्ति संख्या-19, न्यू सर्वे रोड देहरादून में सिकुण्ड डायनोस्टिक सैन्टर का व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री राजीव सिकुण्ड एवं अन्य द्वारा सम्पत्ति संख्या-19, न्यू सर्वे रोड देहरादून में सिकुण्ड डायनोस्टिक सैन्टर निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या सी-0287/21-22 को सर्व सम्मति से स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक:-24

मानचित्र पत्रावली संख्या-ओसी-0292/21-22 श्री स्टीफन इलायझा फुन्सोग पुत्र स्व0 श्री वाई0पी0 फुन्सोग सम्पत्ति संख्या-3बी नया नम्बर 10/124 ढाकपट्टी वर्तमान नम्बर 589/जी.एफ-06 ढाकपट्टी राजपुर रोड देहरादून पर रेस्टोरेंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल ढाकपट्टी में मुख्य राजपुर रोड से 205.57 मीटर दूरी पर डेड एण्ड पर अवस्थित है। अतः 5.57 मीटर शिथिलता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सर्व सम्मति से प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया :-

- 1- श्री श्याम मोहन शर्मा, अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0।
- 2- श्री अभिषेक भारद्वाज, सहायक अभियंता, म0दे0वि0प्रा0।
- 3- सम्बन्धित अवर अभियंता, म0दे0वि0प्रा0।

उक्त समिति प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर स्थलीय आख्या प्राधिकरण सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 को प्रस्तुत करेंगे। तदनुसार सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थलीय परिस्थिति के अनुसार एवं समिति की आख्यानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाय।



विषय क्रमांक:-25

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0329/21-22 श्री मनजीत जौहर पुत्र स्व० श्री एस०एस०जौहर, श्री हरेन्द्र कुमार बंगिया पुत्र श्री ओ०पी०बंगिया व श्रीमती सोनिया बंगिया पत्नि श्री हरेन्द्र कुमार बंगिया म्युनिसिपल नम्बर 1-बी न्यू म्युनिसिपल नम्बर 3/2/1 हरिद्वार रोड देहरादून पर कामर्शियल/होटल का मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर लिया जाय व विनियमानुसार जांचोपरान्त प्रकरण का निस्तारण किया जाय।

विषय क्रमांक:-26

श्री जगदीश पाण्डेय व प्रिया पाण्डेय, खसरा नम्बर 1682 रकबा 0.2310 है०, खसरा नम्बर 1683 रकबा 0.5470 है० कुल क्षेत्रफल 0.7780 है० पीताम्बर पुर आर्केडिया ग्रांट का भू-उपयोग कृषि से सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक में किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक:-27

धर्मपुर-द्वितीय में सम्पत्ति संख्या 213/158, सम्पत्ति संख्या 214/159 एवं सम्पत्ति संख्या 215/160 कुल रकबा 0.1502 है० भूमि का भू-उपयोग मनोरंजन से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक:-28

मौजा सुद्धोवाला परगना पछवाडून जिला देहरादून खसरा न० 443क, 444क, 443ख, 444ख, 444घ, 445क, 446, 447 कुल रकबा 0.5961 है० का भू-उपयोग औद्योगिक से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।



विषय क्रमांक:-29

ग्राम-खुरावा परगना-परवादून तहसील-देहरादून में श्री परवीन सचदेवा के स्वामित्व की भूमि खसरा न0 182 ड,184 क, 188 घ, 205 ग कुल रकबा 0.8122 है0 का वर्तमान महायोजना में प्रदर्शित कृषि भू-उपयोग को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक:-30

ग्राम-माजरी माफी परगना-परवादून तहसील-देहरादून में श्रीमती रंजना गोयनका पत्नी श्री गोपाल गोयनका के स्वामित्व की भूमि खाता संख्या 1517 खसरा नम्बर 134 (पूराना खसरा नम्बर 52), 135, 133 मिन,134 ख, 135 क, कुल रकबा 0.1455 है0 का वर्तमान महायोजना में प्रदर्शित कृषि भू-उपयोग का त्रुटि सुधार करते हुए व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक:-31

ग्राम-खुरावा परगना- परवादून तहसील-देहरादून में श्री उदित गोयनका के स्वामित्व की भूमि खसरा न0 188 घ रकबा 0.8122 है0 का वर्तमान महायोजना में प्रदर्शित कृषि भू-उपयोग को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक:-32

उत्तरी गांव, के खसरा नम्बर 13 से 121 में महायोजना के अनुसार सार्वजनिक-अर्ध सार्वजनिक भू-उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।



विषय क्रमांक:-33

धर्मपुर माता मंदिर रोड, अजबपुर खुर्द, नया गांव, शहीद भद्री चौक, बंगाली कोठी रोड की वर्तमान चौड़ाई के आधार पर ही मानचित्र स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि महायोजना में धर्मपुर चौक से माता मंदिर रोड हरिद्वार बाईपास रोड तक महायोजना मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर तथा हरिद्वार बाईपास से बंगाली कोठी चौक तक महायोजना में मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर प्रदर्शित है। प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कराने पर पाया गया कि वर्तमान में रोड की चौड़ाई अलग-अलग जगहों पर भिन्न-भिन्न यथा 14.50 मी0, 16.00 मी0, 15.70 मी0, 13.60 मी0, तथा 15.00 मीटर एवं बाईपास से बंगाली कोठी चौक पर 15.00 मीटर चौड़ा मार्ग विद्यमान है। व्यापार मंडल समिति धर्मपुर माता मंदिर बंगाली कोठी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त मार्ग को 15.00 मीटर चौड़ा रखे जाने का अनुरोध किया गया है। अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड देहरादून ने अपने पत्र संख्या 4698 दिनांक 06-12-19 द्वारा धर्मपुर से माता मंदिर रोड होते हुये बंगाली कोठी चौक तक कुछ स्थानों पर 15.00 मीटर तथा कुछ स्थान पर 16.00 मीटर चौड़ा होने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या 1557 दिनांक 03-11-2020 की आख्या में उल्लेख किया गया है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मार्ग की अलग-अलग औसत चौड़ाई लगभग 15-16 मीटर है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यापार मंडल समिति धर्मपुर माता मंदिर बंगाली कोठी के अनुरोध एवं वर्तमान औसत चौड़ाई के दृष्टिगत उक्त मार्ग की चौड़ाई निर्धारित किये जाने हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक:-34

श्रीमती उषा शुक्ला को प्राधिकरण की नवयुग एन्क्लेव इन्दिरापुरम फेज-3 में भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की नवयुग एनक्लेव इन्दिरापुरम योजना फेज-3 में निर्मित भवनों के बीच में कुछ रिक्त भूमि अवशेष रह गयी थी, जिसमें 03 भूखण्ड का पृथक से ले-आउट तैयार कर वर्ष 2007 में भूखण्ड संख्या-2 के आवंटन हेतु श्रीमती उषा शुक्ला पत्नी श्री के0के0 शुक्ला द्वारा आवेदन किया गया तथा स्थल का निरीक्षण करने पर अपने पत्र दिनांक 07-11-2008 द्वारा उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में कुल 11 आपत्तियां इंगित करते हुये भूखण्ड संख्या 01 व 02 को मिलाकर हाईटेंशन लाइन के नीचे वाली भूखमि को छोड़ते हुये शेष भूखण्ड को एक समकोणीय चतुर्भुज के रूप में सीमांकन करते हुये भूखण्ड के आवंटन का अनुरोध किया गया।

वर्ष 2012 में प्राधिकरण की विभिन्न स्थित आवासीय कॉलोनियों के बीच ऐसे भूखण्ड जिनका आवंटन उनके आकार के कारण नियोजन की दृष्टि से उचित न होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका, अतः हरीतिमा बनाये जाने के उद्देश्य से उक्त रिक्त भूखण्ड संख्या 01 एवं 02 को वृक्षारोपण हेतु दिनांक 18-10-2012 को आरक्षित करते हुये वर्ष 2014 में प्राधिकरण द्वारा पार्क का निर्माण किया गया।



श्रीमती शुक्ला द्वारा पुनः भूखण्ड के आवंटन हेतु अनुरोध किये जाने पर प्रकरण प्राधिकरण की 91वीं, 93वीं, 94वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया व समय-समय पर वस्तुस्थिति से शासन को भी सूचित किया जाता रहा है। वर्तमान में पुनः श्रीमती शुक्ला द्वारा उक्त भूखण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किये जाने पर प्राधिकरण की कर्मचारियों/अधिकारियों से स्थल का निरीक्षण करवाया गया। स्थल निरीक्षण आख्यानानुसार भूखण्ड पर चारदीवारी एवं दो छोटे गेट विद्यमान पाये गये हैं। भूखण्ड का आकार 319.27 वर्गमीटर मापा गया है तथा श्रीमती शुक्ला द्वारा वर्ष 2006 के सर्किल रेट के अनुसार आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रीमती उषा शुक्ला को वर्ष 2006 के सर्किल रेट अथवा वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक:-35 मानचित्र पत्रावली संख्या ओ0सी0-0272/21-22 श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी श्री रामपाल गुप्ता एवं श्री मानव जौहर पुत्र श्री मंजीत जौहर द्वारा खसरा न0 76/1, कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 1704.34 वर्गमीटर, रेलवे रोड, मौजा ऋषिकेश, परगना परवादून तहसील ऋषिकेश, परगना परवादून, जिला देहरादून में होटल भवन निर्माण की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक:-36 श्री बुद्धि सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह द्वारा खसरा संख्या 802, 803मि0, मौजा कालूवाला तहसील डोईवाला, परगना परवादून जिला देहरादून में डेयरी एवं दुग्ध प्रोसेसिंग लगाये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त पहुंच मार्ग में 0.52 मीटर की शिथिलता प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक:-37 मानचित्र पत्रावली संख्या सी0-0428/20-21 मै0 दि दून दशमेश ट्रस्ट, द्वारा सचिव-श्रीमती रेनू पॉल पत्नी श्री विजेन्द्र पॉल, खसरा न0 223ग मि0, मौजा सनगांव, तहसील ऋषिकेश, परगना परवादून, जिला देहरादून में इको रिसोर्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।



विषय क्रमांक-38 मानचित्र पत्रावली संख्या सी-0151/21-22 श्री राजकुमार त्यागी पुत्र श्री के0एस0 त्यागी एवं श्रीमती विदुषी त्यागी पत्नी श्री राजकुमार त्यागी द्वारा खसरा न0 6821, 6823, 6839 एवं 6838 कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 6066.00 वर्गमीटर, मौजा बाबूगढ़, परगना पछवाडून तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में इको रिजोर्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान मार्ग शिथिलीकरण हेतु प्रस्ताव शासनादेशानुसार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक-39 मानचित्र पत्रावली संख्या सी-0284/21-22 मै0 रिलाइंस बीपी मोबिलिटी लि0 (चमोली फिलिंग स्टेशन) द्वारा- श्री सत्य प्रसाद चमोली पुत्र श्री परेश्वर दत्त चमोली, स्थल ग्राम अतूरवाला, तहसील ऋषिकेश, परगना परवाडून जिला देहरादून के खसरा संख्या 305मि0, 306 शुद्ध भूखण्ड क्षेत्रफल 1590.39 वर्गमीटर पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-40 श्री मनोहर लाल जुयाल द्वारा प्रोफेशनल एजुकेशन/इन्सटीट्यूट हेतु प्रस्तुत माया देवी इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मनेजमन्ट नामक मानचित्र पत्रावली संख्या OC-0143/21-22 के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-41 श्रीमती निर्मला जोशी पत्नी श्री गणेश जोशी व अन्य द्वारा प्रस्तुत इको रिजोर्ट मानचित्र पत्रावली सं0 सी-0261/21-22 के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-42 श्री मुन्नी लाल गुप्ता पुत्र श्री रूप चन्द गुप्ता आदि द्वारा प्रस्तुत गेस्ट हाऊस मानचित्र पत्रावली सं0 ओ सी-0269/21-22 के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान विनियमानुसार प्रकरण का परीक्षण कर मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।



विषय क्रमांक-43

श्री जसपाल सिंह नागपाल द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक मानचित्र पत्रावली संख्या OC-0503/21-22/RE1 के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-44

मानचित्र पत्रावली संख्या सी-0161/21-22 मै0 नोवा हॉस्पिटलिटी प्रा0लि0 द्वारा-श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री अश्वनी अग्रवाल, विपुल अग्रवाल पुत्र श्री अश्वनी अग्रवाल एवं श्रीमती वन्दना अग्रवाल पत्नी श्री अश्वनी अग्रवाल द्वारा सम्पत्ति हेन्डन हॉल इस्टेट, कुलड़ी रिक हॉल, मसूरी में पूर्व स्वीकृत मानचित्र/निर्मित होटल भवन के पुर्ननिर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान मार्ग की चौड़ाई में शिथिलीकरण हेतु शासनादेशानुसार प्रकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक-45

हरिपुरकलां में भृगु आश्रम से गली न0-05 तक सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य में अनुबन्ध राशि में हुई बढोत्तरी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

विचार-विमर्श के दौरान विचलन एवं स्थान परिवर्तन की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदत्त की गयी कि प्रश्नगत विचलन एवं स्थान परिवर्तन का औचित्य एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ प्रकरण मुख्य लेखाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-46

मानचित्र संख्या सी-0342/20-21 आरई-1 व वाद पत्रावली संख्या सी-0323/एस-3/2021 श्रीमति मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र काम्बोज,द्वारा खसरा नम्बर 1081 क मि0 ग्राम मौथरोवाला (मौथरोवाला दूधली रोड पर) परगना पछवादून देहरादून पर पट्रोल पम्प की निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर लिया जाय व टी-जंक्शन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।



विषय क्रमांक-47

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0319/21-22 श्रीमती रेणु जैन पत्नि श्री सूर्याशं कुमार जैन खसरा नम्बर 19क (पुराना खसरा नम्बर 14/1) मौजा ब्राहमणवाला(हरिद्वार बाईपास रोड) परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर कामर्शियल/रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-48

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0268/21-22 श्रीमती कनिका अग्रवाल पत्नि श्री रतिकान्त गुप्ता ,श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नि श्री सुशील अग्रवाल, श्री गुरभेज सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह , श्री जसप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरभेज सिंह, श्री सुनील आहूजा पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश आहूजा व श्री रोहित टण्डन पुत्र श्री विजय टण्डन द्वारा सम्पत्ति संख्या-19 पुराना नम्बर 13ए न्यू सर्वे रोड देहरादून वर्तमान सम्पत्ति संख्या-33 रायबहादुर उग्रसैन मार्ग (कनक सिनेमा) देहरादून पर कामर्शियल बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण सिनेमाघर को तोड़कर व्यवसायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव है। सड़क की चौड़ाई 11.05 मीटर है। अतः यथोचित दिशा निर्देश हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक-49

मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0341/21-22 मैसर्स सिद्धार्थ ट्रान्सपोर्ट ThroughBoth the Partnersश्री सिद्धार्थ भसीन व श्री राज भसीन पुत्रगण स्व0 श्री पी0एल0भसीन द्वारा सम्पत्ति संख्या-2/1 (पुराना नम्बर 1/4) व 3/1 (3/1/1) बल्लुपुर ग्राम कैनाल रोड पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 9नि. मौजा चायबाग कौलागढ जिला देहरादून में कामर्शियल (VANIJYA KENDRA) बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पब्लिक/सेमी पब्लिक भू-उपयोग में बोर्ड से अनुमन्यता के सम्बन्ध में विषय क्रमांक-1 पर लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।



विषय क्रमांक-50 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0210/20-21 आरई-1 श्री सौरभ सचदेवा पुत्र श्री अमरदीप सचदेवा खसरा नम्बर 89ड मौजा दानियों का डाण्डा परगना पछवादून देहरादून में पर्यटन भू-उपयोग में काटेज भवन के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि काँटेज भवन हेतु भूखण्ड का आकार अति न्यून है। अतः सर्व सम्मति से प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक-51 आवेदक मो० सलीम द्वारा मानचित्र संख्या ओ०सी०-0585/21-22, खसरा नं 7, 8, 9 खा, 15 घ, 9 गा, 10 खा, ग्राम मटर माजरी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर में ईको रिसोर्ट को शमन करने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-52 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0082/21-22 श्रीमती बिन्दु पुण्डीर पत्नि श्री अनिल कुमार पुण्डीर खसरा नम्बर 333ख मौजा केदारपुर (दून यूनिवर्सिटी रोड) परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-53 शमन मानचित्र संख्या SC-0015/2014-15 के सापेक्ष देय अवशेष धनराशि माफ करने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि डा० वी०के० सेठी, सचिव, जी०आर०डी० इंस्टीट्यूट, राजपुर रोड, देहरादून द्वारा आवेदित मानचित्र संख्या SC-0015/2014-15 के सापेक्ष स्वीकृति हेतु आरोपित धनराशि रू० 69,03,875 आवेदक फर्म को सूचित किया गया। आवेदक फर्म द्वारा उक्त धनराशि विभिन्न किशतों में जमा की गयी। किन्तु आवेदक द्वारा उक्त धनराशि किशतों में समय पर जमा न किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा रू० 40,87,810.00 ब्याज आरोपित किया गया। आवेदक द्वारा उक्त ब्याज की राशि तीन किशतों में मात्र रू० 15,00,000.00 जमा कराये गये तथा शेष धनराशि रू० 25,87,410.00 को कोरोना के कारण माफ किये जाने एवं मानचित्र निर्गत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 12-03-2021 प्रस्तुत किया गया।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से अवशेष धनराशि माफ किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा होने के पश्चात मानचित्र निर्गत किया जाय।



विषय क्रमांक-54 श्री कृष्ण पाल सिंह द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर के परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या OC-0310/21-22/RE1 के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का पुनः निरीक्षण कर लिया जाय व मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता हेतु औचित्य सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

विषय क्रमांक-55 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0325/21-22 श्री केशव सोईन पुत्र श्री केवल कृष्ण सोईन सम्पत्ति संख्या-19 न्यू रोड, नया म्युनिसिपल नम्बर 139/82 अमृत कौर रोड देहरादून पर कामर्शियल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि एजेंडा में विस्तृत विवरण यथा भूखण्ड का आकार आदि सम्पूर्ण सूचना सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक-56 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0083/21-22 श्रीमती प्रेमा नेगी पत्नि श्री रूपेन्द्र सिंह नेगी व श्रीमती मंजू पोखरियाल पत्नि श्री रमेश पोखरियाल खसरानम्बर 333ख मौजा केदारपुर (दून यूनिवर्सिटी रोड)परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-57 मै0 होली एजुकेशनल सोसाइटी, मौजा माजरीग्रंट, तहसील डोईवाला, जिला देहरादून के खसरा संख्या 3020, 3021, 3022क, 3744ख कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 0.7390 हेक्टेयर का कृषि से शैक्षणिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक-58 श्रीमती सुमन भाष्कर पत्नी श्री रविकान्त भाष्कर द्वारा खसरा नम्बर-1667 एवं 1668 मौजा रुद्रपुर तहसील विकासनगर जिला देहरादून में एल0पी0जी0 गैस भण्डारण के शमन हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या सीसी-0124/20-21 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।



प्रश्नगत स्थल पर एल0पी0जी0 गैस भण्डारण की स्थापना हेतु विचार-विमर्श के दौरान गैस भण्डारण हेतु फायर सेफ्टी के सम्पूर्ण प्राविधान की आख्या प्राप्त होने के पश्चात मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक-59 शमन मानचित्र पत्रावली संख्या CC-0047/21-22 श्री किशोर कुमार चन्देल आदि द्वारा खसरा न0 333 ख मिन. मौजा केदारपुर ,परगना पछवादून जिला देहरादून पर रेस्टोरेन्ट का शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत स्थल पर एल0पी0जी0 गैस भण्डारण की स्थापना हेतु विचार-विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि गैस भण्डारण हेतु फायर सेफ्टी के सम्पूर्ण प्राविधान की आख्या प्राप्त होने के पश्चात मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक-60 श्री गिरीश कुकरेजा आदि द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक मानचित्र पत्रावली संख्या OC-0267 /21-22 के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पब्लिक/सेमी पब्लिक भू-उपयोग में बोर्ड से अनुमन्यता के सम्बन्ध में विषय क्रमांक-1 पर लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक-61 मानचित्र पत्रावली एप्लीकेशन नम्बर-मैप/पी/सी/1153/21-22 व मानचित्र संख्या-सी-0350/21-22 श्रीमती विष्मी सचदेवा रमन पुत्री श्री रमेश सचदेवा पत्नि श्री रविनाथ रमन द्वारा खसरा नम्बर 50मिन., 60मिन मौजा बगराल गॉव परगना पछवादून देहरादून में व्यवसायिक रेस्टोरेन्ट एवं कैफे निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-62 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0061/20-21 श्री विजय कुमार मनचन्दा पुत्र स्व0 श्री मेहर चन्द मनचन्दा व श्रीमती सीमा जरावत पत्नि श्री अरविन्द कुमार जरावत खसरा नम्बर 324, 325/1, 328/1, 333/1, 336/1, 343/1, 322/1, 323, 326, 327, 328/1, 329, 330, 331, 332, 333/1, 334, 335, 336/2, 337, 338, 339/2, 339/1 मौजा ग्राम डोम गॉव परगना पछवादून देहरादून पर इको रिसार्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में



विचार-विमर्श के उपरान्त सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के निर्णय के साथ मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक-63 आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के उपरान्त सैटबैक शमन किये जाने पर शमन शुल्क की दर प्रत्येक तल पर न लेते हुये केवल एक ही तल पर लिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित मार्गदर्शन हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक-64 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0157/20-21 श्री जिले सिंह पुत्र स्व० श्री बृजलाल स्थित माल रोड मसूरी में व्हाइट हाउस "रीगल होटल" के पुर्ननिर्माण हेतु सडक की चौड़ाई में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत निर्माण वर्ष 1980 का है व वर्तमान प्रचलित शासनादेशों के क्रम में मसूरी में पुर्ननिर्माण की अनुमति दी जा सकती है। सर्व सम्मति से यथोचित मार्गदर्शन हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक-65 मसूरी स्थित प्राधिकरण की (पूर्व लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस, जीरो प्वाइंट) 1.7 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित मल्टीस्टोरी पार्किंग एवं वाहन चालकों के लिये डोरमेट्री के निर्माण के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मसूरी में पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाय व शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

विषय क्रमांक-66 मानचित्र पत्रावली संख्या सी-0335/21.22 डा० अश्वनी काम्बोज पुत्र श्री डी०पी० सिंह खाता खतौनी न० 106 व 107 (फसली वर्ष 1414-1419) खसरा नम्बर 9क मि० स्थित मौजा कुल्हान करनपुर, परगना परवादून, देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के उपरान्त शासनादेशानुसार 50 प्रतिशत से अधिक शिथिलता का अधिकार शासन में निहित होने के फलस्वरूप उक्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।



विषय क्रमांक-67 ग्राम खुरावा देहरादून भूमि खसरा नं० 30क, 34, 16ख, 36ख, 39, 47ख, 33क कुल रकबा 0.8562 है० भूमि का भू-उपयोग कृषि/हरित क्षेत्र से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक-68 मौजा सलोनी वाला पछवादून देहरादून भूमि ख० नं० 53, 54, एवं खं० नं० 54, 55 का भू-उपयोग कृषि/हरित क्षेत्र से आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक-69 मौजा सलोनी वाला पछवादून देहरादून भूमि ख० नं० 51क, 52ग, 56 एवं 57 का भू-उपयोग कृषि/हरित क्षेत्र से आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक-70 पत्रावली संख्या 0136/20-21, श्री मोहम्मद गालिब, खसरा नम्बर 206, ग्राम ब्राहमणवाला, देहरादून।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पब्लिक/सेमी पब्लिक भू-उपयोग में बोर्ड से अनुमन्यता के सम्बन्ध में विषय क्रमांक-1 पर लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।



विषय क्रमांक-71 मौजा माजरी ग्रांट में भूमि खसरा नं० 4071ख मि०, 4072मि०, 4073मि०, 4074कमि०, 4074खमि०, कुल रकबा 0.5370 है० भूमि का सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग से व्यवसायिक में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक-72 मौजा माजरी ग्रांट में भूमि खसरा नं० 4063ख मि०, 4061मि०, 4068मि०, 4069मि०, 4071मि०, कुल रकबा 0.8030 है० भूमि का सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग से आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक-73 आवेदक श्री बिशन चन्द कुमाई द्वारा मानचित्र संख्या सी-0225/21-22 व्यवसायिक भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पब्लिक/सेमी पब्लिक भू-उपयोग में बोर्ड से अनुमन्यता के सम्बन्ध में विषय क्रमांक-1 पर लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक-74 पत्रावली संख्या सी-0353/21-22 ,आवर्देक श्री मनमोहन सिंह रावत द्वारा खसरा नम्बर 144, 145, ग्राम कुआवाला, देहरादून के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थल से 50 मीटर की दूरी पर आबादी न होने के सम्बन्ध में जांच कर ली जाय व तदनुसार ही प्रकरण का निस्तारण किया जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक-01 मानचित्र संख्या C-0359/20-21 श्री अतुल बहल द्वारा मौजा आरकेडिया ग्रांट में पेट्रोल फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थल से 50 मीटर की दूरी पर आबादी न होने के सम्बन्ध में जांच कर ली जाय व तदनुसार ही प्रकरण का निस्तारण किया जाय।

12

12



अनुपूरक विषय क्रमांक-02

मानचित्र पत्रावली सं० सी-0081/21-22 श्रीमती वीर बाला पत्नी श्री रामपाल सिंह खसरा नम्बर-457क व 458 ग्राम जाटोवाला तहसील विकासनगर, देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थल से 50 मीटर की दूरी पर आबादी न होने के सम्बन्ध में जांच कर ली जाय व तदनुसार ही प्रकरण का निस्तारण किया जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक-03

शमन मानचित्र संख्या-एसआर-0277/20.21 मेजर नोरबू संयुक्त सचिव एफोडेबल हाउसिंग फार तिब्बतन रिफयूजी रिटेबीटेसन ग्राम तरला नागल खसरा नम्बर 579, 575, 574, 573, 572, 571, 576, 570, 568, 599 स्थित सहस्त्रधारा रोड देहरादून में आंकलित धनराशि रूपये 65,71,068-00 में छूट प्रदान के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मानचित्र संख्या एसआर-0277/20.21 मेजर नोरबू संयुक्त सचिव एफोडेबल हाउसिंग फार तिब्बतन रिफयूजी रिटेबीटेसन ग्राम तरला नागल के सापेक्ष स्वीकृति हेतु आंकलित धनराशि रू० 65,71,068.00 में छूट प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक-04

भवनों के वाह्य आवरण हेतु डिजाईन (Facade) के अन्तर्गत आने वाले डिजाइनों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि **Facade** नीति, 2019 के शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाय व इस हेतु एक कंसलटेंट भी नियुक्त किया जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक-05

मौजा बिष्ट गांव के विभिन्न खसरा का भू-उपयोग कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु पुनः दिनांक 23-12-2021 को बोर्ड बैठक आहूत कर ली जाय तथा विस्तृत आख्या सहित प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।



अनुपूरक विषय क्रमांक-06

मानचित्र पत्रावली सं० सी-0208/21-22 श्री सचिन गौर पुत्र श्री दिनेश शर्मा खसरा नम्बर-279/3/2 ऋषिकेश नगर निगम, ऋषिकेश नगर निगम सम्पत्ति सं० 124/13व 129ए/124 पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि एन०जी०टी० के दिशा निर्देशों यथा स्थल से 50 मीटर की दूरी पर आबादी, कोई नाला खाला आदि न होने के सम्बन्ध में जांच कर ली जाय व तदनुसार ही प्रकरण का निस्तारण किया जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक-07

मानचित्र पत्रावली संख्या-ओ०सी०-0423/21-22 आर०ई० श्री विशाल मणी रतूड़ी पुत्र स्व० श्री रामेश्वर, श्री विद्या सागर रतूड़ी पुत्र श्री विशाल मणी रतूड़ी, श्रीमती सोना नौटियाल पत्नी श्री धानेश नौटियाल, खसरा नं०- 663 क, मौजा देहराखास, पछवादून, तहसील देहरादून।

विचार-विमर्श के दौरान मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक-08

मानचित्र पत्रावली संख्या सी-0034/21-22 द्वारा श्रीमति परमजीत कौर पत्नी श्री ओम प्रकाश निवासी राजेन्द्र नगर ,लेन नं० 04 कौलागढ तहसील देहरादून जिला देहरादून।

सर्व सम्मति से प्रश्नगत स्थल पर मोबाइल टावर स्थापना हेतु आवेदित मानचित्र संख्या सी-0034/21-22 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक-09

मानचित्र पत्रावली संख्या सी-0351/21-22 द्वारा श्री प्रदीप नागरथ द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक कम होटल का मानचित्र के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक-10

प्राधिकरण में विधि कार्य हेतु अधिवक्ताओं/फर्मों को आबद् किये जाने के सम्बन्ध में।

मै० उनियाल एवं शर्मा एसोसिएट को प्राधिकरण अधिवक्ता पैनल में नियुक्त किये जाने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।



अनुपूरक विषय क्रमांक-11

घण्टाघर स्थित एच0एन0बी0 कॉम्पलैक्स में "Facade Improvement, Landscaping, Retrofitting, Installation of Fire Fighting System & Escalators, Improvement of Boundary wall, Operation and Maintenance of Shopping Complex" के कार्य को पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत M/s Clock Tower Operation & Maintenance Services Pvt. Ltd. से करवाये जाने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत करा दिया जाय व यथोचित दिशा निर्देश हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक-12

पत्रावली संख्या OC-0573/21-22 श्री पुरन प्रकास सब्रलाल पुत्र स्व0 श्री जयाराम सबरवाल एवं श्री गिरीष कुमार पुत्र श्री पुरन प्रकास सब्रलाल के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शिथिलता सम्बन्धी प्रस्ताव शासनादेशानुसार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सन्दर्भित कर दिया जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक-13

पत्रावली संख्या OC-0241/21-22 श्रीमती मीना त्यागी श्री राजीव त्यागी व श्री राजीव त्यागी पुत्र स्व0 श्री आर0पी0 त्यागी निवासी (ओल्ड खसरा न0179(क) व न्यू खसरा न0 171 (क) मीन0 गाँव धनोला परागना परवादून देहरादून के मानचित्र के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

अन्त में अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा सभी मा0 सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(बृजेश कुमार सन्त)

उपाध्यक्ष,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

(सुशील कुमार)

अध्यक्ष

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।